न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

निर्वाचन अपील सं. 16/2020

अपीलांट्स–	***बनाम***	अप्रार्थीगण–
गुमानसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी बेदरलाई, ग्राम पंचायत सांभरा, पं.स. पाटोदी, जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बालोतरा

निर्वाचन अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा।

उपस्थिति :–

श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 14/09/2020

1. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलांट (आक्षेपकर्ता) द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा के समक्ष नियम 20 के तहत दिनांक 05.01.2020 को आक्षेप प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत सांभरा पंचायत समिति पाटोदी की मतदाता सूची में सम्मिलित किये गये बोगस मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आक्षेप प्रस्तुत किया गया। इस आक्षेप पर अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किसी प्रकार का निस्तारण नहीं किया जाकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06.01.2020 को कर दिया गया। इस पर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.02.2020 को प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील द[illegible]टर कर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया [illegible] जाकर अवलोकन किया गया।

3. हमने अधिवक्ता अपीलांट को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिनस्थ अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा द्वारा ग्राम पंचायत सांभरा पंचायत समिति पाटोदी की मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 06.01.2020 को जारी किया गया है जिसमें विधि एवं मतदाता पंजीयन नियमों की भारी अनदेखी की गई हैं। उक्त सूची में करीब 126 बोगस मतदाताओं के नाम बिना किसी आधार के बीएलओ से सांठ–गांठ कर बालोतरा व आस–पास के गांवों के विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में संयोजित किये गये हैं जो नियम विरूद्ध होने से हटाये जाने योग्य हैं।

4. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सांभरा की अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि करीब 95 ऐसे नाम सम्मिलित किये गए हैं जो ग्राम पंचायत सांभरा के निवासी नहीं हैं। इन नामों की सूची अधीनस्थ प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर वार्ड संख्या 1 में 55 तथा 2 में जोड़े गए 40 नाम हटाये जाने हेतु नियम 20 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत किया गया जिस पर आदिनांक कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही किसी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सांभरा की नई मतदाता सूची में वार्ड संख्या 1 के क्रम संख्या 290, 305 व 310 पर एक ही व्यक्ति के फोटो लगाकर अलग–अलग नाम अंकित किए गए हैं तथा क्रम संख्या 306 व 319 पर भी एक ही व्यक्ति का फोटो है किन्तु नाम भिन्न–भिन्न हैं। यह समस्त नाम किसी एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए बिना किसी आधार व वैध दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। वार्ड संख्या 1 के क्रम संख्या 318 व 326 में जोड़े गए नाम ग्राम पंचायत उमरलाई के वार्ड संख्या [illegible] क्रम संख्या 259 व 261 पर दर्ज हैं एवं उक्त मतदाताओं ने ग्राम पंचायत उमरलाई में पंचायत चुनाव 2020 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसी प्रकार वार्ड संख्या 1 के क्रम संख्या 308 व 295 पर जोड़े गए मतदाताओं के नाम नगर परिषद्

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बालोतरा के वार्ड संख्या 2 के क्रम संख्या 501 व वार्ड संख्या 43 के क्रम संख्या 448 पर दर्ज हैं। वार्ड संख्या 1 के क्रम संख्या 340 पर जोड़े गए व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत भाखरी खेड़ा पंचायत समिति बालोतरा के वार्ड संख्या 1 के क्रम संख्या 242 पर अंकित है। इसी प्रकार वार्ड संख्या 2 के क्रम संख्या 361 व 362 पर जोड़े गए व्यक्तियों के नाम ग्राम पंचायत नगोणी धतरवालों की ढाणी के वार्ड संख्या 5 के क्रम संख्या 280 पर दर्ज हैं। वार्ड संख्या 4 के क्रम संख्या 179 से 182 तक जोड़े गए मतदाता ग्राम पंचायत गोपड़ी के वार्ड संख्या 3 में क्रम संख्या 72, 79 व 80 पर दर्ज हैं। वार्ड संख्या 5 के क्रम संख्या 242 से 248 व 252 से 268 कुल 24 मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत खारी नाड़ी में दर्ज हैं। उक्त आधारों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सांभरा में नये मतदाताओं के रूप में जोड़े गए करीब 126 मतदाताओं के नाम ताक पर रखकर विधि विरूद्ध संयोजित किये गए हैं जो हटाऐ जाने योग्य हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सांभरा की मतदाता सूची में सम्मिलित किये गए उक्त गलत एवं बोगस मतदाताओं के नाम हटाने का आदेश फरमावें।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ प्राधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) बालोतरा से प्राप्त मूल अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि ग्राम पंचायत सांभरा की मतदाता सूची में नये नाम जोड़े जाने हेतु भिन्न-भिन्न आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गए हैं जिस पर क्षेत्र के लिये नियुक्त बीएलओ द्वारा नाम जोड़े जाने की अभिशंषा की गई है। उक्त आवेदन पत्रों के संलग्न प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज न तो आवेदक की ओर से सत्यापित है और न ही किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया गए हैं। इन साक्ष्य दस्तावेजों में एवं आवेदन पत्रों पर चस्पा किये गए फोटो का मिलान नहीं हो रहा है। जैसा कि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट किया गया है कि वार्ड संख्या 1 के क्रम संख्या 290, 305 व 310 पर एक ही व्यक्ति के फोटो हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर बाड़मेर

तथा आवेदन पत्रों पर भी एक ही फोटो चस्पा किया गया है। इससे अधिवक्ता अपीलांट का आक्षेप बलवत होता है कि उक्त नाम जोड़े जाने की कार्यवाही में सरसरी जांच भी नहीं की गई है। नवीन रूप से मतदान हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले मतदाताओं के अलावा अन्य व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने से पूर्व उनके पूर्व निवास अथवा अब तक नाम सम्मिलित नहीं होने के बारे में कोई जांच एवं निश्चय नहीं किया गया। अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आक्षेप पर भी न तो काई जांच की गई और न ही उस पर किसी प्रकार का निस्तारण आदेश पारित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा उक्त मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने से पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम एवं विधि के बाध्यकारी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस आधार पर अधीनस्थ प्राधिकारी को उनके समक्ष अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आक्षेप का विधि सम्मत रूप से निस्तारण किये जाने हेतु यह प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ प्राधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत समिति पाटोदी) तहसीलदार पचपदरा को प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं हितबद्ध मतदाताओं को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते एवं साक्ष्य सबूत अभिलेख पर लेते हुए नये सिरे से नियमानुसार आक्षेपों का निस्तारण करने की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 14.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:28 IST
Reason: SelfAttested

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते